

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 1462 /SEIAA/22

Date: 26/8/22

प्रति,

श्री संजय गुप्ता,
पार्टनर, मेसर्स सिद्धी विनायक इंटरप्राइजेस,
प्लाट नं. 158, विठ्ठल नगर, टेकारा,
शुभ मिनी डुपलेक्स के पास, जशोदा नगर,
घोड़ासार, अहमदाबाद, गुजरात

संदर्भ: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/IND3/261713/2022 - प्रकरण क्र. 2192/2014 - परियोजना प्रस्तावक श्री गौरव खंडेलवाल, पार्टनर मेसर्स सिद्धी विनायक इंटरप्राइजेस, टीचर कॉलोनी, रामभलपुर, मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा प्लाट नं. 30, ए.के.वी.एन. इन्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील मेघनगर,, जिला झाबुआ (म.प्र.) में स्थित ऑर्गेनिक इंटरमिडियेट की क्षमता विस्तार की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, श्री संजय गुप्ता, प्लाट नं. 158, विठ्ठल नगर, टेकारा, शुभ मिनी डुपलेक्स के पास, जशोदा नगर, घोड़ासार, अहमदाबाद, (गुजरात) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 741वीं बैठक दिनांक 17.08.2022 में विस्तृत चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में प्लाट नं. 30, ए.के.वी.एन. इन्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील मेघनगर,, जिला झाबुआ (म.प्र.) पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री गौरव खंडेलवाल, पार्टनर मेसर्स सिद्धी विनायक इंटरप्राइजेस, टीचर कॉलोनी, रामभलपुर, मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.), को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा पत्र क्र. 1528 दिनांक 12.10.2018 के माध्यम से श्री गौरव खंडेलवाल, पार्टनर मेसर्स सिद्धी विनायक इंटरप्राइजेस, टीचर कॉलोनी, रामभलपुर, मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) को 600 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष डाई इन्टरमिडियेट की उत्पादन क्षमता विस्तार बढ़ाने हेतु जारी की गई थी।
- (3) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-
 - I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री गौरव खंडेलवाल, पार्टनर मेसर्स सिद्धी विनायक इंटरप्राइजेस, टीचर कॉलोनी, रामभलपुर, मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ-पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।
 - II. श्री संजय गुप्ता, प्लाट नं. 158, विठ्ठल नगर, टेकारा, शुभ मिनी डुपलेक्स के पास, जशोदा नगर, घोड़ासार, अहमदाबाद, (गुजरात) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन अनिवार्यतः किया जायेगा।

- III. एस.ई.आई.ए.ए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. एस.ई.आई.ए.ए पत्र क्र. 1528 दिनांक 12.10.2018 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. पार्टनरशिप डीड की प्रति जिसके माध्यम से पूर्व पक्षकारों द्वारा श्री संजय गुप्ता आत्मज श्री लालजी भाई गुप्ता एवं श्री राजेश गुप्ता आत्मज श्री लालजी भाई गुप्ता के पक्ष में दिनांक 07.02.2019 को सम्पादित की गई है।
- V. उपरोक्त हस्तांतरण हेतु सभी पूर्व पक्षकारों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दी गई है कि प्रति।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एस.ई.आई.ए.ए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1528 दिनांक 12.10.2018 के माध्यम से श्री गौरव खंडेलवाल, पार्टनर मेसर्स सिद्धी विनायक इंटरप्राइजेस, टीचर कॉलोनी, रामभलपुर, मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) के नाम पर प्लॉट नं. 30, ए.के.वी.एन. इन्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री संजय गुप्ता, श्री संजय गुप्ता, प्लॉट नं. 158, विठ्ठल नगर, टेकारा, शुभ मिनी डुपलेक्स के पास, जशोदा नगर, घोड़ासार, अहमदाबाद (गुजरात) के नाम निम्नानुसार निर्देशों के साथ जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1528 दिनांक 12.10.2018 में निहित समस्त शर्तों एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता यथावत रहेगी।
- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छः माही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र. 1463 /SEIAA/2022 भोपाल
प्रतिलिपि :-

o/c

दिनांक

26/8/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला झाबुआ (म.प्र.)
5. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. श्री गौरव खंडेलवाल, पूर्व पार्टनर मेसर्स सिद्धी विनायक इंटरप्राइजेस, टीचर कॉलोनी, रामभलपुर, मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.)।
8. प्रबंध निदेशक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि. फ्री प्रेस हाउस, प्रथम तल 3/54, प्रेस काम्पलेक्स, आगर-मुंबई हाईवे, इंदौर (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

सदस्य सचिव